विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 488 दिनांक 23/6/17

प्रति,

प्राचार्य,
ज्ञान विहार कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन
भौंसोदामण्डी, भानपुरा, जिल–मंदसौर

विषय : **विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।**

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक / 182 दिनांक 08.05.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय / नवीन विषय / सीट संख्या वृद्धि की जाने / सम्बद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.06.2017 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि ज्ञान विहार कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन,भैंसोदामण्डी,जिला–मंदसौर,(नवीन) में सत्र 2017–18, से बी.एससी.बी.एड.–प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017–18 से बी.एससी.बी.एड.–प्रथम वषपाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति दो माह में करने के शपथ पत्र के आधार पर प्रदान की जाये।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर निम्न विवरणानुसार सत्र 2017–18 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में [illegible] प्रदान की जाती है :–

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01	बी.एससी.बी.एड.–प्रथम वर्ष	100

शर्तें :–01. नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ होना है। पूर्व पाठ्यक्रम डी.एड. संचालित है। सुविधाए अच्छी नहीं है।
02 प्रयोगशाला का उन्नयन किया जाना आवश्यक है।
03. छात्र–छात्राओं हेतु वाश रूम एवं कामन रूम अलग–अलग स्थापित किये जावे।
04 साइंस की पुस्तकें क्रय की जाये।
05 विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 28(3)(1) के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम हेतु रू.25,000/–(अक्षरी पच्चीस हजार रूपये मात्र),की इण्डोमेंट फण्ड की धनराशि की एफ.डी.आर.कुलसचिव,विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन एवं प्राचार्य के संयुक्त नाम से बनाकर मूल रसीद विश्वविद्यालय लेखा विभाग में जमा करें। यदि उपरोक्तानुसार एफ.डी.आर.पूर्व में जमा करा दी गई हो तो,रसीद प्रस्तुत करें।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति तीन माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें,अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर 02